## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2018

**सा.का.नि. 47.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय, सफदरजंग अस्तपाल, नई दिल्ली परिचर्या अधिकारी, समूह "ख" भर्ती नियम, 2018 है।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है. विवाह किया है. या विवाह की संविदा की है.
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
परिचर्या अधिकारी	1001	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख"	स्तर – 7 (44900-142400
		अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपए)
	*कार्यभार के आधार		
	पर परिवर्तन किया जा		
	सकता है।		

चयन या अचयन पद	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)		(7)
(5) लागू नहीं होता	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा  (6)  35 वर्ष से अनिधक  टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	-
		लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  टिप्पणी 2: अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिये जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों को अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) लागू नहीं होता	(9) दो वर्ष टिप्पणः दो वर्ष की अवधि जिसमें दो सप्ताहों की अवधि का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण की सफलतापूर्णता सम्मलित होगी।	(10) सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी;  (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; और  (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56
		वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
	<ol> <li>अपर चिकित्सा अधीक्षक,</li> <li>सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष</li> </ol>	
	<ol> <li>मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक,</li> <li>सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य</li> </ol>	
	<ol> <li>नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य और</li> <li>परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</li> </ol>	
	<ul><li>4. उप निदेशक प्रशासन,</li><li>सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य</li></ul>	

[फा. सं. ए-11018/03/2013/एमएच III/भाग II/बी] डॉ. रति बालाचन्द्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30<sup>th</sup> January, 2018

- **G.S.R. 47.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Nursing Officer, Group-'B' Post Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and Level in the pay matrix.**—The number of the pos, its classification and the Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification** .—No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post
				or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1001* (2018)	General Central	Level-7	Not applicable
Nursing Officer	*Subject to variation	Service, Group'B'	(Rs.44900- 142400/-)	
	dependent on work-	Non-Gazetted, Non-		
	load.	Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 35 years.	(A)(I) B.Sc(Hons) in Nursing from a recognised university or institute;	Not applicable
Note 1: Relaxable for Government	or	
servants upto five years in accordance	regular course in B.Sc Nursing from a recognised	
with the instructions or orders issued	University or Institute;	
by the Central Government.	or	
<b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the	post basic B.Sc Nursing from a recognised university or institute.	
closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in	(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife ( $RN$ or $RN\&RM)$ with State Nursing Council;	
Assam, Meghalaya, Arunachal	or	
Pradesh, Mizoram, Manipur,	(B)(I) Diploma in General Nursing and Mid-Wifery	

Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	from a recognised Board or Council;	
Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	State Nursing Council;	
	(III) one year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at $B(I)$ above.	
Eddished weep.	<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise qualified.	
	Note 2: The qualification (s)regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Two years	By direct recruitment.
Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of

In case of recruitment	If a Departmental Promotion Committee exists, what is	Circumstances in which Union
	*	Public Service Commission to be
by promotion or	its composition	
deputation or absorption		consulted in making recruitment
grades from which		
promotion or deputation		
or absorption to be		
made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee	Consultation with Union Public
	(for considering confirmation) consisting of:-	Service Commission not necessary
	(1) Additional. Medical Superintendent,	
	Safdarjung Hospital, New Delhi – Chairman	
	(2) Chief Nursing Officer/ Nursing	
	Superintendent, Safdarjung Hospital,	
	New Delhi - Member	
	(3) Nursing Adviser, Ministry of	
	Health and Family Welfare – Member	
	(4) Deputy Director Administration,	
	Safdarjung Hospital, New Delhi – Member	